न्यायालय मान०राजस्व मण्डल,म०प्र०ग्वालियर

R 4125 - II/16

निगरानी प्रकरण कमांक -दो/2016

1- डॉ०दीपक जैन पुत्र ऋषभ कुमार जैन
निवासी सरस्वती शिशु मंदिर रोड
वार्ड क-1 कोतमा तहसील कोतमा
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश

2- बसंत सराफ

3- चन्द्र प्रकाश

4- नवल किशोर तीनों पुत्रगण
स्व.जमुना प्रसाद सराफ (मारवाड़ी)
निवासी नगर कोतमा
तहसील कोतमा जिला अनूपपुर,म०प्र० ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन

2- सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,कोतमा
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश --- अनावेदक

(कमिश्नर, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक 56/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-10-2016 के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत)

कृ०पृ०उ०--2

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

निगरानी प्रकरण कमांक 4125-दो/2016 जिला अनूपपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ता.
9-12-16	यह निगरानी आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक 56/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 17-10-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कस्वा कोतमा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1161 रकबा 0.68 डिसमिल खसरा सन् 1953-54 में ननदउवा व रामभरोसी पिता रामसरण बरगाही के नाम दर्ज है, जिसके कैफियत के कालम में जमुना प्रसाद 0.07 एकड़ पर बतौर कब्जेदार अंकित है । पटवारी हलका नंबर 118 कोतमा ने नायव तहसीलदार सोहागपुर को रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सर्वे कमांक 1161 के रकबा 0.07 एकड़ शासकीय पर जमुनाप्रसाद व्दारा अतिकमण किया गया है। नायव तहसीलदार सोहागपुर ने प्र0क0 13 अ 68/ 73-74 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 19-12-1974 से जमुनादास पर 100 रू. अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखलही का दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष अपील कमांक 11 अ 68/74-75 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 14-7-75 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। इसी दरम्यान ग्राम कोतमा में तहसील बन जाने से प्रकरण	

निगरानी प्र0क्र0 4125-दो/2016

तहसीलदार कोतमा को अंतरित होने पर प्रकरण क्रमांक 13 अ 68/73-4 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 20.12.06 से प्रकरण संहिता की धारा 248 के अंतर्गत न आने से निरस्त हुआ। इस आदेश के विरूद्ध कृषि उपज मण्डी समिति कोतमा ने अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के समक्ष अपील क्रमांक 82/2008-09 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 15-12-2009 से निरस्त हुई।

अनुविभागीय अधिकारी कोतमा ने तत्का. अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के आदेश दिनांक 15-12-2009 को पुनरावलोकन में लिये जाने की अनुमति वावत् प्रस्ताव आडरशीट दिनांक 25-1-10 लिखकर कलेक्टर अनूपपुर को प्रस्तुत किये, जिस पर कलेक्टर अनूपपुर ने प्रकरण क्रमांक 2/2009-10 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 29-1-10 से पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक क्रमांक 2 से 4 ने कमिश्नर शहडौल संभाग शहडौल के समक्ष निगरानी क्रमांक 58/10-11 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 17-10-16 से कलेक्टर का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी दरम्यान आवेदक क्रमांक 2 से 4 ने वाद विचारित भूमि आवेदक क्रमांक 1 को विक्रय कर दी। इन्हीं चारों पक्षकारों ने मिलकर कमिश्नर शहडौल संभाग शहडौल के आदेश दिनांक 17-10-16 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की।

3/ आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक, मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

निगरानी प्रकरण कमांक 4125–दो/2016 जिला अनूपपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता.

प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि भूमि सर्वे कमांक 1161 के कुछ भाग में जमींदारी काल से रिहायशी मकान हैं एंव कुछ भाग कोतमा तहसील बनने एंव कृषि उपज मण्डी बनने से मण्डी को आवंटित है। विचाराधीन भूमि सर्वे कमांक 1161/1 का जुज भाग 29X106=3045 वर्गफुट है जिसमें 22X105=2310 वर्गफुट पर बना हुआ एक मंजिला पक्का मकान एंव 07X105=735 वर्गफुट आने जाने की गैलरी है जो मौजा कोतमा (अब नगरपालिका क्षेत्र स्थित) है। अभिलेख अनुसार उक्तांकित भूमि की स्थिति इस प्रकार पाई गई है –

1. रीवा रियासत में संबत 1982–83 में नन्दउवा एंव रामभरोसी पुत्र रामसरण बरगाही के नाम दर्ज रही है।
2. सन 1953–54 में उक्त भूमि जमुना प्रसाद के स्वामित्व में आई एंव शासकीय अभिलेख में दर्ज है क्योंकि ददूली पिता नन्दउवा ने सर्वे नंबर 1161 का हिस्सा पूर्व व पश्चिम में 70 हाथ लम्बा, उत्तर–दक्षिण में 14 हाथ चौड़ा, सड़क सेठ रिखीराम के कुआ से उत्तर दक्षिण में 14 हाथ चौड़ा , सड़क से गंज के बरण्डा के सीध तक 70 हाथ पश्चिम भूमि को सेठ जमुनादास बल्द बृजमोहन लाल मारबाड़ी निवासी ग्राम कोतमा को दिनांक 3–11–44 को विकय किया है।
3. स्वर्गीय सेठ जमुनादास के पुत्रगण आवेदक कमांक 2, 3, 4 हैं जिन्होंने उक्त भू भाग पर निर्मित मकान एंव खुले भाग को विकीनामा दिनांक 5 दिसम्बर 2014 से आवेदक कमांक 1 के पक्ष में विकय कर कब्जा सौंपा है

जिसके कारण वाद विचारित भूमि में आवेदक क्रमांक-1 डॉ0 दीपक जैन भूमिस्वामी होकर आवश्यक पक्षकार है।

5/ प्रकरण में संलग्न अभिलेख अनुसार पटवारी हलका नंबर 118 कोतमा ने नायब तहसीलदार सोहागपुर को उक्त भू भाग पर जमुनादास व्दारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिस पर से नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 40/68/1965-66 पंजीबद्ध किया तथा जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 9-3-1971 पारित किया तथा उक्त भाग मालिकाना हक का होने के कारण संहिता की धारा 248 का प्रकरण प्रचलन योग्य न मानकर निरस्त कर दिया।

पटवारी ने पुनः जमुनाप्रसाद के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की , जिस पर से नायब तहसीलदार के यहां प्रकरण क्रमांक 13 अ 68/73-74 पंजीबद्ध हुआ एंव आदेश दिनांक 19-12-74 से जमुनाप्रसाद पर 100/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखल करने के आदेश हुये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष अपील क्रमांक 11 अ 68/74-5 पंजीबद्ध हुई तथा आदेश दिनांक 14-7-1975 से नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ है।

अनूपपुर जिला बनने एंव कोतमा नगर तहसील बनने से प्रकरण तहसीलदार कोतमा के न्यायालय में अंतरित हुआ एंव प्रकरण क्रमांक 13 अ 68/73-74 पर दर्ज कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 20.12.2006 पारित हुआ एंव उक्त भू भाग मालिकाना हक का होने से प्रकरण संहिता की धारा 248 के अंतर्गत न आने से समाप्त कर दिया गया। कोतमा नगर में कृषि उपज मण्डी समिति असित्तव में आने पर इसी सर्वे नंबर का कुछ भू भाग मण्डी समिति को आबन्टित हुआ।

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4125–दो/2016 जिला अनूपपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता.
	तहसीलदार कोतमा के आदेश दिनांक 20.12.06 के विरूद्व कृषि उपज मण्डी समिति ने अनुविभागीय अधिकारी कोतमा के समक्ष अपील क्रमांक 82/2008–09 प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 15–12–2009 से निरस्त हुई है। आदेश दिनांक 15–12–2009 के वाद पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी कोतमा ने इसी प्रकरण में आडरशीट दिनांक 25–1–10 लिखकर कलेक्टर अनूपपुर से पुनरावलोकन की अनुमति मांगी, जो प्रकरण क्रमांक 2/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 29–1–2010 से प्रदान की गई। प्रकरण में देखना यह है कि क्या वाद विचारत निर्मित मकान की भूमि एंव रिक्त भूमि क्या मध्य प्रदेश शासन अथवा मण्डी समिति की है अथवा निजी भूमि ? प्रकरण में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि रीवा रियासत में संबत 1982–83 में नन्दउवा एंव रामभरोसी पुत्र रामसरण बरगाही के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज रही है। ददूली पिता नन्दउवा ने सर्वे नंबर 1161 का हिस्सा पूर्व व पश्चिम में 70 हाथ लम्बा, उत्तर–दक्षिण में 14 हाथ चौड़ा, सड़क सेठ रिखीराम के कुआ से उत्तर दक्षिण में 14 हाथ चौड़ा, सड़क से गंज के बरण्डा के सीध तक 70 हाथ पश्चिम भूमि को सेठ जमुनादास बल्द बृजमोहन लाल मारबाड़ी निवासी कोतमा	

को दिनांक 3-11-44 को विक्रय किया है विक्रयनामा की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है। इस विक्रय के वाद उक्त भूमि का भूमिस्वामी सेठ जमुनाप्रसाद हुआ है। भूमि सर्वे क्रमांक 1161/1 का जुज भाग 29X106=3045 वर्गफुट है जिसमें 22X105=2310 वर्गफुट पर बना हुआ एक मंजिला पक्का मकान एंव 07X105=735 वर्गफुट आने जाने की गैलरी जमुना दास की मृत्यु उपरांत उसके पुत्रगण आवेदक क्रमांक 2 से 4 के नाम नामांत्रित हुई है, जिन्होंने विक्रीनामा दिनांक 5 दिसम्बर 2014 से आवेदक क्रमांक 1 के पक्ष में विक्रय कर कब्जा सौंपा है इस विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक क्रमांक -1 डॉ0दीपक जैन पुत्र ऋषभ कुमार जैन भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी है। विचार योग्य है कि जब नायव तहसीलदार सोहागपुर ने प्रकरण क्रमांक 40/1965-66 अ-68 में पारित आदेश दिनांक 9-3-1971 से उपरोक्त कारणों से वाद विचारित मकान के निर्मित क्षेत्र की भूमि एंव खुले भू भाग को स्वर्गीय जमुनादास की निजी भूमि मानकर संहिता की धारा 268 का प्रकरण समाप्त कर दिया है और यह आदेश अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम होकर वाद विचारत भूमि **Res-Judicata** के सिद्धांत से बाधित है तब पटवारी व्दारा पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट से स्वर्गीय जमुनादास के विरूद्ध नवीन सिरे से अतिक्रमण का प्रकरण कायम करना न्यायिक प्रक्रिया एंव नियमों के उल्लॅघन में कार्यवाही है। इस प्रकार नायव तहसीलदार व्दारा पुनः प्रकरण क्रमांक 13 अ 68/73-74 दर्ज करके आदेश दिनांक 19-12-74 से जमुनाप्रसाद पर 100/-रू. अर्थदण्ड करना एंव अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर व्दारा अपील क्रमांक 11 अ 68/74-75 में नायव

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 4125–दो/2016 जिला अनूपपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ता
	तहसीलदार सोहागपुर के आदेश दिनांक 9–3–1971 को अनदेखा करके आदेश दिनांक 14–7–1975 से नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करना न्याय प्रकिया के विपरीत कार्यवाही है तथा कलेक्टर अनूपपुर ने पुनरावलोकन अनुमति दिनांक 29–1–10 देते समय तथा आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक 56/2010–11 निगरानी में आदेश दिनॉक 17–10–2016 पारित करते समय उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 19–12–74 , अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर का आदेश दिनांक 14–7–1975 एंव कलेक्टर अनूपपुर का आदेश दिनांक 29–1–10 तथा आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल का आदेश दिनॉक 17–10–2016 न्याय प्रकिया के विरुद्ध पाये जाने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं, क्योंकि नायब तहसीलदार सोहागपुर का प्रकरण कमांक 40/1965–66 अ–68 में पारित आदेश दि0 9–3–1971 अंतिम होकर Res-Judicata है। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक 56/2010–11 निगरानी में आदेश दिनॉक 17–10–2016, कलेक्टर अनूपपुर व्दारा प्र0क02/2009–10 पुनरावरावलोकन	

निगरानी प्र0क0 4125-दो/2016

में पारित आदेश दिनांक 29-1-10 एंव अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर व्दारा अपील प्रकरण कमांक 11 अ 68/74-5 में 15-12-2009 एंव अंतरिम आदेश दिनांक 25-1-10 तथा नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 13 अ 68/73-74 में पारित आदेश दिनांक 19-12-74 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। वाद विचारित भूमि पर निर्मित मकान एंव खुला भाग संबत् 1982-83 से 1953-54 की निरन्तरता में भूमिस्वामी स्वत्व पर पाये जाने से तहसीलदार कोतमा को आदेश दिये जाते हैं कि आवेदक कमांक 2 लगायत 4 व्दारा विकय की गई वादग्रस्त भूमि पर विकयनामा के अनुसार केता डॉ0दीपक जैन पुत्र ऋषभ कुमार जैन का नामान्तरण किया जावे।

सदस्य